



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2014 जिला-रीवा R-3212-III/14

- 1- धीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भगौतीसिंह
- 2- रामसिंह पुत्र श्री भगौतीसिंह
- 3- लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री भगौतीसिंह
- 4- भारत सिंह पुत्र श्री भगौतीसिंह
- 5- प्रेमशंकर सिंह पुत्र श्री राजपती सिंह
- 6- विद्याधरसिंह पुत्र श्री राजपती सिंह
- 7- अशोक सिंह पुत्र श्री हरिशंकर सिंह समस्त निवासी ग्राम बरहा तहसील त्योंथर जिला रीवा (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरुद्ध

जोगावती पत्नी श्री बरमनारायण सिंह निवासी ग्राम बरहा तहसील त्योंथर जिला रीवा (म.प्र.)

..... अनावेदक

न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत्त गढी तहसील त्योंथर द्वारा प्रकरण क्रमांक 50/अ-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 25.08.2014 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय

श्री. धर्मस - 25/9/14 को
द्वारा आज दि. 22-9-14 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
22-9-14

22/9/14

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3212-तीन/2014

जिला रीवा

धीरेन्द्र विरूद्ध जोगावती

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-02-2019	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत ।2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त गढ़ी तहसील त्योंथर के प्रकरण क्रमांक 50/अ-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 25-08-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी ।4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।	<p>(आर.के. जैन) सदस्य</p> <p>18/2/2019</p>